दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

दो

(13)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र० क्र /पीबीआर/निगरानी/2017/
I/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2437

1-राधा बाई उर्फ रुद्रो पत्नी श्री स्व० नत्थी

2- मुन्ना पुत्र स्व० नत्थी

3- अशोक पुत्र स्व० नत्थी

4- देवेश उर्फ देवेन्द्र पुत्र नत्थी

5- शिमला पुत्र स्व० श्री नत्थी

6- श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व० नत्थी

समस्त निवासी गण ग्राम निजामपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी कृषक ग्राम पन्चाटी तहसील नरवर जिला शिवपुरी

....प्रार्थीगण

बनाम

गणेश प्रसाद पुत्र विहारी लाल जाति ब्राम्हण निवासी -मगरौनी कृषक ग्राम पन्चाटा तहसील नरवर जिला शिवपुरी म०प्र०

.... प्रतिप्रार्थी

एन. डी. शर्मा, एडवो
31-7-17

31-7-17

एन-डी-शर्मा
31-7-17

निगरानी आवेदन अन्तर्गतधारा 50 म०प्र०भू रा० संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निवेदनहैकि प्रार्थीगणों द्वाराप्र० क्र० 72/2016-17/अ-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 8. 6. 2017 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रहीहै जिसकी संक्षिप्त सार निम्नानुसारहै:-

निगरानी के के संक्षिप्त सार:-

.... 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2437

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी नरवर**	